

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2006 ई०

संख्या 938/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 04/XXVII(8) वाणिज्य कर (वैट)/2006, दिनांक 21-01-2006 (अधिसूचना संख्या 13/XXVII(8) वाणिज्य कर (वैट)/2006, दिनांक 23-05-2006 द्वारा संशोधित) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

अनुसूची-I की क्रम संख्या 4 की वर्तमान प्रविष्टि की अंतिम पंक्ति में "पशुओं का संतुलित आहार" शब्दों के बाद शब्द, "संतुलित कुक्कुट आहार तथा संतुलित मत्स्य आहार" बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 938/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006, dated December 19, 2006 for general information :

NOTIFICATION

December 19, 2006

No. 938/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification, the following partial amendment in the previous Notification No. 04/XXVII(8)/Vanijya Kar(VAT)/2006, dated 21.01.2006 (Amended *vide* Notification No. 13/XXVII(8)/Vanijya Kar(VAT)/2006, dated 23.05.2006) issued under the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005.

In the last line of the existing entry at serial no. 4 of Schedule-I the words "**balanced poultry feed and balanced aquatic feed**" shall be added after the words "balanced cattle feed".

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary, Finance.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 13-01-2007, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 5 वित्त/39-22-01-2007-250 (कम्प्यूटर/रीजियो)।